### <u>न्यायालय-सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर,</u> जिला-बालाघाट (म.प्र.)

<u>आप. प्रक. क.–46 / 2014</u> संस्थित दिनांक–21.01.2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-परसवाड़ा जिला-बालाघाट (म.प्र.)

\_ \_ \_ \_ <u>अभियोजन</u>

### / / <u>विरूद</u> / /

भगतिसह पिता परसू मरकाम, उम्र—65 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—ग्राम कुरेण्डा, तहसील परसवाड़ा, थाना परसवाड़ा, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

<u>आरोपी</u>

# // <u>निर्णय</u> //

## <u>(आज दिनांक-12/03/2015 को घोषित)</u>

- 1— आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—07.01.2014 को समय शाम 5:00 बजे, स्थान ग्राम कुरेण्डा, थाना परसवाड़ा अंतर्गत फरियादी रवनसिंह को खतरनाक साधन के रूप में दांत से काटकर बांए हाथ में स्वैच्छया उपहित कारित किया।
- 2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि आरोपी ने दिनांक—07.01.2014 को समय शाम 5:00 बजे, स्थान ग्राम कुरेण्डा, थाना परसवाड़ा अंतर्गत फरियादी रवनसिंह को खतरनाक साधन के रूप में दांत से काटकर बांए हाथ में चोट कारित किया। फरियादी/आहत रवनसिंह द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट थाना परसवाड़ा में दर्ज करायी गई। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक—06/2014 अंतर्गत धारा—324 भा.दं.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहत का मेडिकल परीक्षण कराया गया, पुलिस ने अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया गया, गवाहों के कथन लेखबद्ध किया किया तथा आरोपी से घटना में प्रयुक्त सामग्री जप्त किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
- 3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी/आहत रवनसिंह ने आरोपी से राजीनामा

कर आवेदन पेश किया, किन्तु अपराध अशमनीय होने से राजीनामा आवेदन अस्वीकार किया गया। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया है।

## 4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-07.01.2014 को समय शाम 5:00 बजे, स्थान ग्राम कुरेण्डा, थाना परसवाड़ा अंतर्गत फरियादी रवनसिंह को खतरनाक साधन के रूप में दांत से काटकर बांए हाथ में स्वैच्छया उपहित कारित किया।?

## विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष :-

- 5— फरियादी / आहत रवनसिंह (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि आरोपी उसका पिता है। घटना के समय उसका आरोपी से मॉ की बात को लेकर मौखिक वाद—विवाद हो गया था, जिसकी रिपोर्ट उसने थाना परसवाड़ा में की थी, जो प्रदर्श पी—1 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल परसवाड़ा में हुआ था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी—2 बनाया था जिस पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने पूछताछ कर मेरे बयान नहीं लिये थे। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी ने घटना के समय उसे बांए हाथ में चाब दिया था। साक्षी ने उसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी—1 और पुलिस कथन प्रदर्श पी—3 में हाथ में दांत से काटने वाली बात बताए जाने से इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने स्वयं फरियादी व आहत होते हुए भी आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन मामले का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।
- 6— अभियोजन ने मात्र फिरयादी / आहत रवनिसंह (अ.सा.1) की साक्ष्य करायी गई है, इसके अलावा अभियोजन की ओर से किसी भी चक्षुदर्शी साक्षी या महत्वपूर्ण साक्षी की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। एकमात्र महत्वपूर्ण साक्षी आहत रवनिसंह (अ.सा.1) ने स्वयं आहत होते हुये भी आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। ऐसी दशा में साक्ष्य के अभाव में आरोपी के विरुद्ध कथित दांत से काटकर आहत रवनिसंह को स्वेच्छया उपहित कारित करने का तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।
- 7— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि कथित घटना दिनांक व स्थान में आरोपी ने फरियादी/आहत रवनसिंह को खतरनाक साधन के रूप में दांत से काटकर बांए हाथ में स्वैच्छया उपहित कारित किया। अतएव आरोपी को धारा—324 भा.द.बि. के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता

8— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट (सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट

ALIMANIA PAROLO SUNTIN BUSH PAROLO SUNTIN BUSH PAROLO SUNTIN PAROLO SUNTIN BUSH PAROLO SUNTIN BUSH PAROLO SUNTIN BUSH PAROLO PAROLO SUNTIN BUSH PAROLO PAROL